# समाहरणालय, मधेपुरा

(पंचायत कार्यालय)

-:आदेश:-

अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आवंटनादेश संख्या-72(आ0), दिनांक 20.02.2015 द्वारा केन्द्रांश-योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्त्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0205-राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण, विपत्र कोड संख्या पी0 2515001970205 तथा राज्यांश-योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्त्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0305-राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण, विपत्र कोड संख्या पी0 2515001970305 के अन्तर्गत राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (RGPSA) के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या-302,दिनांक 21.01.2015 द्वारा अनुमंडलीय मुख्यालय प्रखंड स्तर पर प्रखंड संसाधन केन्द्रों (BRC) की स्थापना के निमित्त वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत प्रथम किस्त की राशि निम्नवत प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपावंटित किया जाता है :-

| क्र0 | प्रखंड का नाम | उपावंटित राशि | | कुल उपावंटित राशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| | | केन्द्रांश | राज्यांश की राशि | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा | 285516 | 125000 | 410516 | |
| 2 | प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज | 285516 | 125000 | 410516 | |
| कुल योग :- | | **571032** | **250000** | **821032** | |

(आठ लाख ईक्कीस हजार बत्तीस) रूपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एम-4-05/98-2561 वि(2), दिनांक 17.04.1998 एवं 6720, दिनांक 25.07.2014 तथा विभागीय पत्रांक 227, दिनांक 14.01.2015 (संलग्न) में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जांच-पड़ताल के बाद हीं की जाय। यदि कोई अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो। DGS & D द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित (Certified) सामग्रियों का ही क्रय नियमानुसार किया जायेगा।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले विपत्रों पर शीर्ष आदि, ईकाइयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढ़ंग से हो सके।
6. वित्तीय नियमावली, बजट मेनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानो तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. इसकी मांग संख्या-16 है।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.223...../पं0, मधेपुरा, दिनांक.....13-3-15...../2015

प्रतिलिपि :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल तथा मधेपुरा के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/3/15

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।